(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

सुमन देवी **II**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 41 / 2020

जीसीएमएस नम्बर :– 2020 / 00077

1. इन्द्र सिंह पुत्र माल सिंह उम्र 73 साल जाति राजपूत निवासी चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. सार्दुल सिंह पुत्र माल सिंह उम्र 68 साल जाति राजपूत निवासी चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. औमप्रकाश पुत्र हनुमान सिंह उम्र 60 साल जाति राजपूत निवासी चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
4. दलीप सिंह पुत्र हनुमान सिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

..............वादीगण

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला झुंझुनू राज०
2. तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

................प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन

–ःनिर्णयः– **दिनांकः–** 17/7/25

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम चित्तौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2012 से 2016 के खाता सं० 51 के [illegible] 205 रकबा 6 बीघा ख० न0 206 [illegible] बीघा 17 बिस्वा भूमि के रिकार्ड रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा [illegible] रिकार्ड खातेदार कास्तकार है खातेदार माल सिंह पुत्र भोलु सिंह [illegible] परिवार का लेना देना विवाह शादी सभी खातेदार माल सिंह कर्ता खानदान था पुरे

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

सामाजिक व राजनैतिक कार्य माल सिंह पुत्र भोल सिंह ही करता था। खातेदार मालसिंह की वंशावली निम्नप्रकार है।

भोल सिंह उर्फ भोलु सिंह

- मालसिंह
  - इन्द्र सिंह
  - सार्दुल सिंह
- डुंगर सिंह (अविवाहित फौत)
- हनुमान सिंह
  - औमप्रकाश
  - दलीप सिंह

इस प्रकार वादी स0 1 व 2 गत ख० न0 205, 206 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार मालसिंह पुत्र भोल सिंह उर्फ भोलु सिंह के वारिसान है तथा वादी स० 3 व 4 खातेदार माल सिंह पुत्र भोल सिंह के भाई हनुमान सिंह पुत्र भोल सिंह उर्फ भोलु सिंह के वारिसान है तथा डुंगर सिंह पुत्र भोल सिंह उर्फ भोलु सिंह अविवाहीत फौत हो चुका है।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि वादीगण स० 1 ल० 4 की पैत्रक भूमि है जिस पर वंशावली के अनुसार गत ख० न0 205 व 206 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा पर मालसिंह पुत्र भोलु सिंह के वारिसान वादी स0 1 व 2 का है तथा शेष 1/2 हिस्सा हनुमान सिंह पुत्र भोलु सिंह वादी स0 3 व 4 है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि खातेदार मालसिंह पुत्र भोलु सिंह कर्ता खानदान था घर परिवार के सभी सामाजिक राजनैतिक कार्य खातेदार मालसिंह पुत्र भोलु सिंह ही करता था। इसी कारण वाद वर्णित भूमि खातेदार मालसिंह राजकीय कर्मचारीयों से साज कर अपने नाम से दर्ज करवा ली है खातेदार मालसिंह पुत्र भोल सिंह की मृत्यु के उपरान्त वाद वर्णित भूमि वादी स0 1 व 2 जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 दर्ज रिकार्ड हो गई है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि के गत ख० न0 205 रकबा 6 बीघा व गत ख० न0 206 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि के हाल ख० न0 299 रकबा 4.50 है० भूमि निर्मित हुए जो कि जमाबन्दी संवत 2045 से 248 वादी स० 1 व 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जो कि गत ख० न0 205, 206 के खातेदार मालसिंह पुत्र भोल सिंह के वारिसान है जबकि उक्त भूमि वादीगण स० 1 व 2 का 1/2 हिस्सा [illegible] 1/2 हिस्सा वादी स० 3 व 4 का है।
5. यह कि वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2012 से 2016 के खाता स० 51 के ख० न0 205 रकबा 6 बीघा ख० न0 206 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि के हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख० न0 299 रकबा 4.50 है० भूमि के जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 के खातेदार इन्द्र सिंह, सार्दुल सिंह पुत्रान मालसिंह यानि वादी स० 1 व 2 का खातेदारी में से नाम हटाकर उक्त भूमि को राजकिय भूमि में दर्ज कर दिया। जबकि उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी स0 1 व 2 का व 1/2 हिस्सा वादी स० 3 व 4 का है।

6. यह कि वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि का वादीगण स० 1 ल० 4 ने बाहमी बंटवारा इसी बंटवरे के अनुसार वादी स० 1 व 2 अपने 1/2 हिस्से पर तथा वादी स0 3 व 4 अपने 1/2 हिस्से कब्जे कास्त करते चले आ रहे है जिस पर वादीगण स० 1 ल0 4 को कोई आपति नहीं है।
7. यह कि वाद वर्णित भूमि की वादीगण ने नकल प्राप्त की तो पता चला कि वादी स० 1 ल० 4 की भूमि को राजकीय भूमि में दर्ज कर जिसके अनुसार वादी स० 1 ल० 4 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू को जरिये अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटीस भी दिया गया था जिसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय बुहाना व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू राज० को नोटीस दिया गया कि वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि को वादीगण स० 1 ल0 4 के नाम से खातेदारी में दर्ज किया जावे। परन्तु श्रीमान जी द्वारा वादीगण व वादीगण के वकील (अधिवक्ता) के पास कोई आदेश नही दिया गया है इसलिए वादीगण को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।
8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज० में होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।
9. यह कि वाद पत्र सम्पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।
10. यह कि वाद पत्र में नवीनतम जमाबन्दी के साथ सम्पूर्ण रिकार्ड व वादीगण का शपथ पत्र भी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क). कि ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि हाल ख० न0 299 रकबा 4.50 है० भूमि को 1/2 हिस्सा भूमि वादी स० 1 व 2 व 1/2 हिस्सा भूमि वादी स० 3 व 4 की खातेदारी में दर्ज की जावे। तथा उक्त भूमि को राजकीय भूमि से हजफ किया जावे।

(ख). कि ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि हाल ख० न0 299 रकबा 4.50 है0 भूमि को बाहमी बंटवारे के [illegible] प्रत्येक का 1/4, 1/4 भाग यानि प्रत्येक का 1.125 है0, 1.125 है0 भूमि का खाता [illegible] अलग से लगान कायम किया जावे।

(ग). कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कि[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(घ). कि अन्य अनुतोष जो आयाचित हो तो वादीगण को दिलवाया जा।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। तहसीलदार बुहाना को मौका रिपोर्ट/जवाब हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 76 दिनांक 27.02.2025 मौका रिपोर्ट/जवाब हेतु पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1672 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट/जवाब प्राप्त हुआ रिपोट रही की खाता संख्या 23 में खातेदारान् के नाम दर्ज रिकार्ड है मौके पर खसरा नम्बर 299 पर इन्द्रसिंह, शार्दुलसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत व ओमप्रकाश, दलीपसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत ने आपसी सहमति से कब्जे कास्त है राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत् 1999 में मालसिंह पुत्र भोलुसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 में मालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्रामीणों व पड़ौसी कास्तकारों ने बताया कि भोलुसिंह के तीन लड़के (मालसिंह, डूगरसिंह(अविवाहित फौत), व हनुमानसिंह) थे। शामिल पत्रावली किया गया। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम चितोसा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 299 रकबा 4.50 हैक्टर में वादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/4, 1/4 भाग यानि प्रत्येक का 1.125 है, 1.125 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट, दस्तावेजात के अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जाए। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, मिसल हैकियत सम्वत 1999, जमाबन्दी सम्वत 2012–2014, जमाबन्दी सम्वत 2015–2017, जमाबन्दी सम्वत 2023–2027, जमाबन्दी सम्वत 2027–2030, जमाबन्दी सम्वत 2031–2034, जमाबन्दी सम्वत 2045–2048, जमाबन्दी सम्वत 2049–2052, जमाबन्दी सम्वत 2053–2056, जमाबन्दी [illegible] 2057–2060, जमाबन्दी सम्वत 2065–2068, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 मिलान [illegible] की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:24 IST
Reason: Self Attested

अधिकारी ... झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 299 रकबा 4.50 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से तथा वादी संख्या 3 व 4 को 1/2 हिस्से का प्रत्येक को 1/4, 1/4 भाग यानि प्रत्येक का 1.125 हैक्टर, 1.125 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी-II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17-7-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी-II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 41 / 2020

जीसीएमएस नम्बर :– 2020 / 00077

इन्द्रसिंह बनाम सरकार आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 299 रकबा 4.50 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को 1 / 2 हिस्से तथा वादी संख्या 3 व 4 को 1 / 2 हिस्से का प्रत्येक को 1 / 4, 1 / 4 भाग यानि प्रत्येक का 1.125 हैक्टर, 1.125 हैक्टर भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश है। खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested